भारतीय संघ

बनाम

आर. सेथुमाधवन और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 3173 वर्ष 2018) 22 मार्च 2018

[मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति]

सेवा कानून: पेंशन - रेलवे - ट्रेन परीक्षक का पद - 30.9.1997 को, भारत सरकार द्वारा पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के आवेदन के दायरे और सीमा से संबंधित नीति संकल्प अधिसूचित किया गया था - 17.12.1998 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। 1.1.1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे कुछ भी हो, 1.1.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में पेंशनभोगी द्वारा अंतिम धारित पद के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी - 11.5.2001 को, 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन को स्पष्ट करते हुए एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया - विवाद यह उठा कि क्या कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.5.2001, कार्यालय ज्ञापन 17.12.1998 को ओवरराइड करता है - माना गया: केएस कृष्णास्वामी मामले पर भरोसा करने में ट्रिब्यूनल सही था। जिसमें यह माना गया कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 30.9.1997 के एक नीतिगत प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि पेंशन की राशि की सीमा सरकार में उच्चतम वेतन का 50% होगी - 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों सहित 1.1.1996 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन 1.1.1996 को समेकित की जाएगी, लेकिन समेकित पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित पद के संशोधित वेतन के न्यूनतम 50% के स्तर पर नहीं लाया जाएगा - कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.12.1998 एवं 11.5.2001 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं - दोनों सरकारी नीति संकल्प को स्पष्ट करते हैं - इसलिए यह तर्क कि दिनांक 11.5.2001 का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.12.1998 के मूल कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है, जिससे पेंशनभोगियों की दो श्रेणियां बनती हैं, गलत है - उच्च न्यायालय ने इस निर्णय का उल्लेख न करके और प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय देकर गलती की। केएस कृष्णास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 13 एससीसी 215: [2006] 9 सप्ल एससीआर 330 - पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [2006] 9 सप्ल एससीआर 330 पैरा 11, 13, 16 पर निर्भर है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3173 वर्ष 2018

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2016 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 13207 वर्ष 2013 में ।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रीना पांडे, श्रीमती अनिल कटियार अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

विकास महेंद्र, सुश्री पृथा श्रीकुमार उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. 140 वर्ष से भी पहले प्रिवी काउंसिल ने कहा था:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"ये कार्यवाही निश्चित रूप से श्री डोयने द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करती है, और जो पहले भी अक्सर कहा गया है, कि भारत में एक वादी की कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब उसने एक डिक्री प्राप्त कर ली है।"

कुछ इसी तरह का भाग्य सरकारी कर्मचारियों का भी इंतजार कर रहा है - सेवानिवृत्त होने पर, उन्हें देय पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह एक रेलवे कर्मचारी का उत्कृष्ट मामला है, जो 31 मार्च, 1991 को ट्रेन परीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन समस्याओं का फैसला 27 साल बाद किया जा रहा है और दुर्भाग्य से उसके पक्ष में नहीं है।

3. हम भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अनुशंसा करते हैं कि निर्देशों, कार्यालय ज्ञापनों, स्पष्टीकरणों, शुद्धिपत्रों आदि की खिचड़ी के बजाय संसद द्वारा अधिनियमित उचित कानून या लागू पेंशन नियमों के माध्यम से एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करें।

4. जब प्रतिवादी भारतीय रेलवे में ट्रेन परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ, तो उसका वेतनमान 1400-2300 रुपये था। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद, ट्रेन परीक्षक के पद के लिए प्रतिस्थापन वेतनमान (जिसे स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया था) 4500-7000 रुपये हो गया।

'महाप्रबंधक ऑफ द राज दुर्भुंगा, अंडर कोर्ट ऑफ वार्ड्स वर्सस महाराजा कुमार रामापुत सिंग, (1871-2) खंड। XIV मू. I.A.605

5. प्रतिवादी के अनुसार ट्रेन परीक्षक के पद को जूनियर इंजीनियर ग्रेड- ॥ के रूप में फिर से नामित किया गया था और जूनियर इंजीनियर ग्रेड- ॥ का संशोधित वेतन 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा 5000-8000 रुपये करने की सिफारिश की गई थी। जूनियर इंजीनियर ग्रेड-॥ के मामले में संशोधित वेतनमान के मुकाबले ट्रेन परीक्षक के प्रतिस्थापन वेतनमान में अंतर के कारण प्रतिवादी की पेंशन पात्रता में लगभग 500 रुपये प्रति माह का अंतर आया।

6. 30 सितंबर, 1997 को भारत सरकार द्वारा पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आवेदन के दायरे और सीमा और इसकी स्वीकृति से संबंधित एक नीति संकल्प अधिसूचित किया गया था। इसके बाद पेंशनभोगियों की ओर से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन आए और परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 1998 को निम्नलिखित आशय का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया: -

“राष्ट्रपति से अब इस पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है की 1.1.1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे कुछ भी हो, 1.1.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में पेंशनभोगी द्वारा धारित अंतिम पद के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रम जारी रहा और एक बार फिर भारत सरकार द्वारा 11 मई, 2001 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जिसमें पहले के कार्यालय ज्ञापन को स्पष्ट किया गया था। स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

“उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के दौरान, पेंशनभोगी द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के समय “आखिरी बार धारित पद” के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.12.1998 का दूसरा वाक्य, अर्थात "सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखे बिना, पेंशनभोगी द्वारा धारित अंतिम पद के 1.1.1996 से संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी", इसका मतलब यह होगा कि सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद, सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित वेतनमान के 01.01.96 के अनुरूप वेतनमान के न्यूनतम 50% से कम नहीं होगी।

8. प्रतिवादी की शिकायत 11 मई, 2001 के स्पष्टीकरण के विरुद्ध निर्देशित है क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी पेंशन पर स्पष्टीकरण का प्रभाव महसूस किया। इसलिए, उन्होंने अपनी उचित पेंशन के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन को प्राथमिकता दी। प्रतिवादी और कुछ अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न को ट्रिब्यूनल की एक बड़ी बेंच को भेजा गया था और संदर्भित प्रश्न इस प्रकार है: -

“जब, जेई के पद पर 1400-2300 रुपये का पूर्व-संशोधित वेतनमान जुड़ा हुआ था। यदि रेलवे में (TXR) को 5000-8000 रुपये तक संशोधित किया गया था (जबकि 1400-2300 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान 4500-7500 रुपये है) क्या 01.01.1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को स्वीकार्य पेंशन 5000-8000 रुपये के वेतनमान पर आधारित होनी चाहिए या 4500-7000/- रुपये के वेतनमान के आधार पर गणना की जानी चाहिए।

9. 31 अक्टूबर, 2011 के एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ट्रेन परीक्षक के पद पर था और उसकी पेंशन उसी आधार पर सही ढंग से तय की गई थी। 1 जनवरी, 1996 से ट्रेन परीक्षक के पद के लिए प्रतिस्थापन वेतनमान 4500-7000 रुपये था। यह माना गया कि प्रतिवादी की पेंशन जूनियर इंजीनियर ग्रेड- II के वेतनमान के बराबर नहीं हो सकती है। संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया गया।

10. इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय ट्रिब्यूनल ने ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों, कई उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों द्वारा दिए गए 20 या अधिक निर्णयों का उल्लेख किया। यह पेंशनभोगियों के लिए प्रतिस्पर्धा का एक संकेत है जब पेंशन के लिए राज्य के खिलाफ दावा किया जाता है।

11. जो भी हो, ट्रिब्यूनल ने अंततः मूल आवेदन को खारिज करने के लिए केएस कृष्णास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

12. ट्रिब्यूनल के फैसले और आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13207 वर्ष 2013 दायर की। 2 अगस्त, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में भारत संघ हमारे सामने है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

13. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और पाया है कि ट्रिब्यूनल कृष्णास्वामी मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर भरोसा करने में सही था। इस निर्णय में, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठे प्रश्न का निपटारा किया गया, हालाँकि भारत सरकार के कुछ अन्य पदों के संदर्भ में। कृष्णास्वामी मामले में इस न्यायालय द्वारा तैयार किया गया प्रश्न पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान से संबंधित है और भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 1997 के एक नीतिगत निर्णय और 17 दिसंबर 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सिफारिशों की स्वीकृति, 11 मई 2001 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया गया। विचार के लिए जो मूल प्रश्न उठा वह यह था कि क्या 11 मई, 2001 का कार्यालय ज्ञापन 17 दिसंबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है जो भारत सरकार के 30 सितंबर, 1997 के नीतिगत संकल्प को स्पष्ट करता है।

14. इस प्रश्न से निपटते समय, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 और 27 में इस प्रकार कहा:

"17. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों का मुख्य जोर यह है कि दिनांक 11-5-2001 का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 के मूल कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है और पेंशनभोगियों की दो श्रेणियां बनाता है। हम इस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिनांक 30-9-1997 के नीतिगत संकल्प की सीमा तक स्वीकार कर ली गईं। उपरोक्त नीति संकल्प को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 में निर्देश जारी करके और स्पष्ट किया गया था, जिसे कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11-5-2001 में एक अन्य कार्यकारी निर्देश द्वारा स्पष्ट किया गया था। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वेतन आयोग की सिफारिशें उपयुक्त सरकार के संशोधनों के साथ स्वीकृति/अस्वीकृति के अधीन हैं। कानून का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि सरकार के नीतिगत निर्णय की कार्यकारी निर्देशों द्वारा समीक्षा/परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में किसी नीतिगत निर्णय को रोक के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान मामले में, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दिनांक 30-9-1997 के एक नीति संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया था कि पेंशन की राशि की सीमा सरकार में उच्चतम वेतन का 50% होगी। 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों सहित 1-1-1996 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन 1-1-1996 को समेकित की जाएगी। लेकिन समेकित पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित पद के संशोधित वेतन के न्यूनतम 50% के स्तर पर नहीं लाया जाएगा। बाद के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 में कार्यकारी निर्देशों द्वारा दिनांक 30-9-1997 के नीति संकल्प को स्पष्ट किया और नीति की सामग्री को स्पष्ट करते हुए दिनांक 11-5-2001 के कार्यालय ज्ञापन के रूप में और स्पष्ट किया गया। सरकार का संकल्प दिनांक 30-9-1997। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों सरकारी नीति संकल्प दिनांक 30-9-1997 को स्पष्ट करते हैं। अपीलकर्ता कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 के कार्यकारी निर्देशों से व्यथित नहीं हैं। इसलिए, हमारे विचार में, अपीलकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 11-5-2001 का कार्यालय ज्ञापन

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 17-12-1998 के मूल कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है, जिससे पेंशनभोगियों के दो वर्ग बन जाते हैं, बिल्कुल गलत और अस्थिर है।

27. पूर्वोक्त कारणों से, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार किया गया कि दिनांक 11-5-2001 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट कार्यकारी निर्देश दिनांक 17-12-1998 के कार्यालय ज्ञापन का एक अभिन्न अंग हैं जो सरकार के नीतिगत संकल्प दिनांक 30-9-1997 को स्पष्ट करता है और मूल कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 को ओवरराइड न करें, यह सही कानून है और तदनुसार इसकी पुष्टि की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह विचार कि दिनांक 11-5-2001 का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-12-1998 के मूल कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है और पेंशनभोगियों के दो वर्ग बनाता है, सही कानून नहीं बनाता है और इसके द्वारा, इसे रद्द कर दिया जाता है।

15. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय लेते समय इस निर्णय का उल्लेख तक नहीं किया है। चूँकि यह मुद्दा पूरी तरह से कृष्णास्वामी मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है, इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

16. उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक और त्रुटि यह मानने में है कि ट्रेन परीक्षक के पद को जूनियर इंजीनियर ग्रेड- II के रूप में फिर से नामित किया गया था। पुन: पदनाम का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। वास्तव में पुन: पदनाम का निष्कर्ष ही एकमात्र आधार है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमें पुन: पदनाम का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं मिली है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा आधार गलत है, सिवाय इस तथ्य के कि उच्च न्यायालय ने इस विषय पर कृष्णास्वामी मामले में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन नहीं किया।

17. इन परिस्थितियों में, हमारे पास मद्रास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम तदनुसार ऐसा करते हैं। अपील स्वीकार की जाती है.

18. यदि प्रतिवादी को कोई भुगतान किया गया है, तो इन राशियों की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

19. इस आदेश की एक प्रति सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजी जाये।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"